भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5257

(दिनांक 02.04.2025 को उत्तर के लिए)

दीर्घकालिक संविदा कर्मियों का नियमितीकरण

5257. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नासिक में वन विभाग के कर्मचारी श्री राजेंद्र सालुंखे के दुःखद मामले की जानकारी है, जिन्होंने नौकरी की कथित असुरक्षा और उपेक्षा के कारण 31 जनवरी को आत्मदाह कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो उनके निधन के पश्चात् उनके परिवार को प्रदान की गई तत्काल वित्तीय और चिकित्सा सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग में दीर्घकालिक संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं:

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रशासनिक चूक के मामले की समीक्षा करने के लिए जांच शुरू की है और यदि हां, तो जांच के निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या वन विभाग के कर्मचारियों के लिए कोई संरचित शिकायत निवारण तंत्र और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणाली स्थापित करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने सूचित किया है कि इस मामले में उनकी कोई टिप्पणी नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों के वन स्थापना के कर्मचारियों से संबंधित मामलों पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है।

इसके अतिरिक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में संविदा श्रमिकों के नियमितीकरण अथवा उन्हें स्थाई प्रास्थिति प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं है।

(च) और (छ) : मानसिक विकारों के बोझ को कम करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अधीन 767 जिलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तरों पर जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के लिए स्वीकृत किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बाह्य रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक कार्यकलाप, गंभीर मानसिक विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों की निरंतर देखभाल और सहायता, दवाएं, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। डीएमएचपी का एक उद्देश्य, विद्यालयों और महाविद्यालयों में आत्महत्या रोकथाम सेवाएं, कार्यस्थल तनाव प्रबंधन, जीवन कौशल प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करना है। उपर्युक्त के अलावा, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी कदम उठा रही है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की गई व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अधीन सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने देश की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यनीति भी प्रतिपादित की है। इस कार्यनीति का विवरण, इस मंत्रालय की वेबसाइट (https://mohfw.gov.in/sites/default/files/National%20Suicide%20Prevention%20Strategy.pdf) पर उपलब्ध है।

******